

North Eastern Institute of Ayurveda & Folk Medicine Research

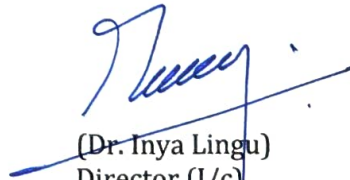
(an autonomous Institute under Ministry of Ayush, Govt. of India)

GENERAL INSTRUCTIONS FOR OMR-BASED WRITTEN EXAMINATION

Vacancy Notification Nos. 04/2023 and 07/2022

Examination Dates: 31 October 2026 and 01 November 2026

1. **Prevention of Unfair Means:** Candidates shall not indulge in cheating, impersonation, or any other unfair practice. Any violation may result in cancellation of candidature and debarment from future examinations of the Institute, in accordance with applicable rules. Legal action may also be initiated, wherever warranted.
2. **Discipline:** Candidates shall maintain discipline and decorum at the examination centre and comply with the instructions issued by the examination authorities. Any misconduct may invite appropriate action under the applicable rules.
3. **Reporting Time:** Candidates must report to the examination centre sufficiently in advance to complete frisking and identity verification. No candidate shall be permitted to enter the examination centre after the scheduled commencement of the examination.
4. **Photography and Videography:** Candidates shall cooperate with the authorised personnel for photography, videography and identity verification, wherever required as part of the approved examination-security procedure. Non-compliance may result in denial of entry, in accordance with the applicable instructions.
5. **Identity Proof:** Candidates must carry their admit card and one original, valid photo identity document, such as an Aadhaar Card, Voter ID Card, PAN Card or Driving Licence. The particulars on the identity document must correspond with those on the admit card. Any discrepancy shall be referred to the authorised examination official for verification.
6. **OMR Sheet and Writing Material:** The examination shall be conducted using OMR answer sheets. Candidates must bring a transparent ballpoint pen with blue or black ink. No other writing material shall be permitted unless specifically authorised by the examination authorities.
7. **Prohibited Items:** Mobile phones, Bluetooth devices, earphones, smartwatches, electronic pens, tablets, cameras, calculators, books, notes, bags, purses, jewellery and other electronic devices or unauthorised materials are prohibited inside the examination hall. Gutka, pan masala, cigarettes, matchboxes and other prohibited items shall not be brought into the examination centre.
8. **Dress Code and Conduct:** Candidates shall comply with the prescribed dress and footwear instructions communicated by the Institute. Candidates must not wear any prohibited footwear, clothing or accessories. Talking, communicating or exchanging information with other candidates inside the examination hall is strictly prohibited.
9. **Compliance:** Candidates shall strictly follow the instructions of the Centre Superintendent and authorised examination personnel. Any violation of the examination instructions may invite appropriate action under the applicable rules.
10. **Non-Receipt of Admit Card:** Candidates who have not received their admit cards may send a request to acad-neiafmr@gov.in, mentioning their name, post applied for, vacancy notification number and other relevant particulars for verification and necessary action.
11. **Official Updates:** Candidates are advised to visit the Institute's official website, www.neiafmr.org.in, regularly for examination-related notices, updates and instructions.


(Dr. Inya Lingu)
Director (I/c)
NEIAFMR, Pasighat

पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान

(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान)

OMR-आधारित लिखित परीक्षा हेतु सामान्य निर्देश

विज्ञापन अधिसूचना संख्या: 04/2023 एवं 07/2022

परीक्षा की तिथियाँ: 31 अक्टूबर, 2026 एवं 01 नवम्बर, 2026

1. अनुचित साधनों के प्रयोग पर प्रतिबंध: अभ्यर्थी परीक्षा में नकल, प्रतिलिपि अथवा किसी अन्य अनुचित साधन का प्रयोग न करें। उल्लंघन की स्थिति में लागू नियमों के अनुसार अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है तथा अभ्यर्थी को संस्थान की भविष्य की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। आवश्यकतानुसार विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
2. अनुशासन: अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर अनुशासन एवं मर्यादा बनाए रखें तथा परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। किसी भी प्रकार के अनुचित आचरण पर लागू नियमों के अनुसार उचित कार्यवाही की जा सकती है।
3. रिपोर्टिंग समय: अभ्यर्थी तलाशी (फ्रिस्किंग) एवं पहचान सत्यापन सहित आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करने हेतु परीक्षा केन्द्र पर पर्याप्त समय पूर्व पहुँचें। परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी: अभ्यर्थी अनुमोदित परीक्षा-सुरक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत, जहाँ आवश्यक हो, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एवं पहचान सत्यापन हेतु अधिकृत कार्मिकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। निर्धारित निर्देशों का पालन न करने पर परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
5. पहचान-पत्र: अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र (Admit Card) तथा एक मूल एवं वैध फोटो पहचान-पत्र, जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, पैन कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस, अनिवार्य रूप से साथ लाएँ। पहचान-पत्र में उल्लिखित विवरण प्रवेश-पत्र में दिए गए विवरण से मेल खाना चाहिए। किसी भी विसंगति की स्थिति में अधिकृत परीक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा। विवरण असत्य पाए जाने अथवा पहचान सत्यापित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है।
6. OMR उत्तर-पत्रक एवं लेखन सामग्री: परीक्षा OMR उत्तर-पत्रक के माध्यम से आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी नीली अथवा काली स्याही वाला पारदर्शी बॉल पेन साथ लाएँ। परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदान किए जाने के अतिरिक्त अन्य किसी भी लेखन सामग्री की अनुमति नहीं होगी।
7. प्रतिबंधित वस्तुएँ: मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, ईयरफोन, स्मार्टवॉच, इलेक्ट्रॉनिक पेन, टैबलेट, कैमरा, कैलकुलेटर, पुस्तकें, नोट्स, बैग, पर्स, आभूषण तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अनधिकृत सामग्री परीक्षा कक्ष में ले जाना प्रतिबंधित है। गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, माचिस तथा अन्य प्रतिबंधित वस्तुएँ भी परीक्षा केन्द्र में नहीं लाई जाएँ।
8. वेशभूषा एवं आचरण: अभ्यर्थी संस्थान द्वारा सूचित निर्धारित वेशभूषा एवं जूते-चप्पलों संबंधी निर्देशों का पालन करें। प्रतिबंधित जूते-चप्पल, वस्त्र अथवा सहायक सामग्री पहनकर न आएँ। परीक्षा कक्ष में अन्य अभ्यर्थियों से संवाद करना अथवा किसी भी प्रकार की जानकारी का आदान-प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
9. निर्देशों का अनुपालन: अभ्यर्थी केन्द्र अधीक्षक तथा अधिकृत परीक्षा कार्मिकों द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। परीक्षा संबंधी निर्देशों का उल्लंघन करने पर लागू नियमों के अनुसार उचित कार्यवाही की जा सकती है।
10. प्रवेश-पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में: जिन अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, वे अपने नाम, आवेदन किए गए पद, विज्ञापन अधिसूचना संख्या तथा अन्य आवश्यक विवरणों का उल्लेख करते हुए सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु acad-neiafmr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से अनुरोध भेज सकते हैं।
11. आधिकारिक सूचनाएँ: अभ्यर्थी परीक्षा से संबंधित नवीनतम सूचनाओं, अद्यतनों एवं निर्देशों के लिए संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट www.neiafmr.org.in का नियमित रूप से अवलोकन करें।


निदेशक (प्रभारी)
पू.आ.लो.चि.अ/सं.पासीघाट